

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2013/ज्येष्ठ 24, 1935	
No. 1352]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2013/JYAISTHA 24, 1935	

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2013

का.आ. 1536(अ).—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 24 मार्च, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) की अधिसूचना संख्या का. आ. 622(अ) और दिनांक 25 नवंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2638 (अ) के अधि क्रमण में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कांडला पत्तन न्यास के अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजन से संपदा अधिकारियों के रूप में भी नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी दी गई शिक्तयों का उपयोग करेंगे तथा, उक्त तालिका के कॉलम 3 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 'संपदा अधिकारी' को सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

तालिका

क्रम सं.	नाम और पदनाम	अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ	कार्यकाल
(1)	(2)	(3)	(4)
1. श्री सुरे	श बाबू , उप यातायात प्रबंधक	कांडला भूमि मामले	पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक
2. श्री एन	न. एस. परमरा, अधीक्षण अभिव	यंता –वही–	वे सेवा में रहें, जो भी पहले हो।
3. श्री सु	रेश बालन, उप सचिव (संपदा)	-वही-	
	. आई. वजीरानी, कार्यकारी आ निकल)	भेयंता -वही-	
5. श्री वी. (सङ्	. रवीन्द्रा रेड्डी, कार्यकारी अभि क)	यंता गांधीधाम भूमि मामले	

2626 GI/2013 (1)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [F	Part II—	SEC. 3(ii
--	----------	---------	----

(1)	(2)	(3)	(4)
6. श्री डी. डी. स्	नौमैया, अधीक्षण अभियंता	-वही-	
(सिविल)			

2. उक्त नियुक्तियाँ सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

[सं. ए-12011/1/2013-पी ई-II] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

ii)]

MINISTRY OF SHIPPING (PORTS WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2013

S.O. 1536(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Government of India, Ministry of Shipping (Ports Wing), Notification No. S. O. 622 (E) Published in the Gazette of India, Extraorinary dated 24th March, 2011, and Notification No. S. O. 2638 (E), dated 25th Nov. 2011 the Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column (2) of the Table below, being the officers of the Kandla Port Trust to be also the Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estaten Officer' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column 3 of the said table .

TABLE

Sl. No.	Name of Designation	Limits of Jurisdiction	Tenure
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Suresh Babu, Dy. Traffic Manager	Kandla Land matters	For a period of five years or till they remain in service whichever is earlier.
2.	Shri N. M. Parmar Suptd. Engineer	-do-	
3.	Shri Suresh Balan Dy. Secretary (Estates)	-do-	
4.	Shri V. I. Vazirani Executive. Engineer (Mech)	-do-	
5.	Shri V. Raveendra Reddy Executive Engineer (Road)	Gandhidham Land matters	
6.	Shri D. D. Somaiya Suptd. Engineer (Civil)	-do-	

^{2.} The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. A-12011/1/2013-PE-II] N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.